UPMT010016272011

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0–10, मथुरा ।

सत्रवाद संख्या–54 सन् 2011

राज्य बनाम भानुप्रताप आदि

अ0सं0–454 / 2010

धारा–307,323,504 भा0दं0सं0

थाना–जैंत, जिला–मथुरा

19.04.2023

पुकार लगायी गयी। अभियुक्तगण भुानप्रताप मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। अभियुक्तव कृष्ण कुमार, की ओर से हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, न्यायहित में द्वारा अधिवक्ता आज के लिये स्वीकृत।

पत्रावली आज वास्ते साक्ष्य नियत है। स्टेटस रिपोर्ट 182ख प्रस्तुत की गयी।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विगत तिथि पर अभियुक्त हरेन्द्र सिंह मलिक की मृत्यु आख्या मय प्रधान, ग्राम पंचायत राल, विकास खण्ड, मथुरा का प्रमाण पत्र दिनांकित 25.03.2023 व अभियक्त हरेन्द्र सिंह मलिक के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसे तामील कुनिन्दा साक्षी सी0डब्लू0–1 कां0 हरीओम का साक्ष्य अंकित हुआ है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि इस साक्षी ने इस आशय का शपथ पूर्वक बयान किया है कि अभियुक्त हरेन्द्र सिंह मलिक की फौती आख्या हेतु उ0नि0 महीपाल सिंह को नियुक्त किया गया, जिन्होंने उसकी पुश्त पर इस आशय की आख्या प्रस्तुत की है कि अभियुक्त हरेन्द्र मलिक पुत्र जैमल की मृत्यु दिनांक 11.02.2023 को हो चुकी है, उ0नि0 महीपाल सिंह को मैंने लिखते पढ़ते व हस्ताक्षर करते देखा है, फौती आख्या की तामील उन्हीं के लेख व हस्ताक्षर में है, लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त मैं करता हूँ। फौती आख्या के साथ ग्राम पंचायत राल की प्रधान सुगम सैनी द्वारा अभियुक्त की मृत्यु को प्रमाणित करते हुये अपने लैटर पैड पर अभियुक्त की मृत्यु को दिनांक 11.02.2023 का होना प्रमाणित किया है, जिसका पत्रांक 1733 दिनांकित 25.03.2023 है, तथा अभियुक्त हरेन्द्र मलिक की मृत्यु का प्रमाण पत्र भी आख्या के साथ संलग्न है। अभियुक्त हरेन्द्र सिंह के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति कागज सं0–179ख / 3 में उसकी मृत्यु दिनांक 11.02.2023 अंकित है तथा सुगन, प्रधान, ग्राम पंचायत राल, विकास खण्ड, मथुरा द्वारा प्रमाण पत्र 179ख / 2 इस आशय का निर्गत किया गया है कि हरेन्द्र मलिक की मृत्यु दिनांक 11.02.2023 को हो चुकी है, वह इन्हें भलीभॉति जानती है।

उपरोक्त के आधार पर साक्षी सी0डब्लू0–1 के बयान एवं उसके द्वारा साबित अभियुक्त हरेन्द्र सिंह मलिक की मृत्यु आख्या कागज सं0–179ख / 1, ग्राम प्रधान का प्रमाण पत्र 179ख / 2, मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति 179ख / 3 के आधार पर अभियुक्त हरेन्द्र सिंह मलिक पुत्र जयमल निवासी राल, थाना–वृन्दावन, जिला–मथुरा की मृत्यु दिनांक 11.02.2023 को होने की पुष्टि होती है। अतः अभियुक्त हरेन्द्र सिंह मलिक उपरोक्त की मृत्यु होने के आधार पर उसके विरूद्ध इस सत्रवाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है। शेष अभियुक्त के विरूद्ध इस सत्रवाद की कार्यवाही पूर्ववत् प्रचलित रहेगी।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 09.05.2023 को पेश हो।

(अवनीश कुमार पाण्डेय)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-10, मथुरा
J.O.Code- U.P. **1686**

Digitally signed by Avanish Kumar Pandey
Date: 2023.05.06 08:22:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court